भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
Project Implementation Unit, Aligarh

Mob. 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

31 एवं 32, ड्रीम सिटी कॉलोनी (बाल जीवन घुट्टी के सामने), जी० टी० रोड, सारसौल, अलीगढ़-202 001 (उ० प्र०)
31 & 32, Dream City Colony (Opp. Bal Jiwan Ghutti), G.T. Road, Sarsol Aligarh - 202 001 (U.P.)

मानक शर्तें

(वन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन की पत्र सं0 7314/14–13–1980/82
दिनांक 21.12.84 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षिता वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत् भूमि का उपयोग केवल कथति प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदातिच नहीं।
3. मानक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संख्या अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि माँगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाग करेगा।
7. हस्तांतरित वन ााूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किये जायें। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जन निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. वन विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर ही हस्तांतरित भूमि तथा उस पर प्रस्तावित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रकार भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय रा ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बोधित पत्र सं0 608/सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किया जायेगी कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फर–बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते पक्का करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

पी० पी० सिंह / P.P. Singh
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.इ.–अलीगढ़
National Highways Authority of India, PIU-Aligarh
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
Project Implementation Unit, Aligarh

Mob 9412730116
E-mail aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

31 एवं 32, ड्रीम सिटी कॉलोनी (बाल जीवन घुट्टी के सामने), जी० टी० रोड, सारसौल, अलीगढ़-202 001 (उ० प्र०)
31 & 32, Dream City Colony (Opp. Bal Jiwan Ghutti), G.T. Road, Sarsol Aligarh - 202 001 (U.P.)

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। आदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भवन न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थार पर दस पेड़ रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये को भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खेड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बाग के पेड़ों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने से यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप–वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। इस पर समबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. नहर आदि निर्माण में भू–रक्षा की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना ठीक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्चयं करायेगा।
17. उक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट श्रेणी में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगीं
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाये तब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये तथा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

पी0 पी0 सिंह / P.P. Singh
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.इ.–अलीगढ़
National Highways Authority of India, PIU-Aligarh
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)